सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-342/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 04 सितम्बर 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना –तरवां

पुलिस मुठभेड़ में मुख्तार अंसारी व मुन्ना बजरंगी गैंग के लिए हथियार एवं कारतुस सप्लाई करने वालें गिरोह के 05 सदस्य गिरफ्तार, 01 अदद तमंचा, 01 अदद जिन्दा व खोखा कारतुस, 24 अदद कारतुस एके-47, 02 अदद खोखा कारतुस एके-47, 01 कार व 02 मोटरसाईकिल बरामद।

आज दिनांक- 04.09.2020 को थाना तरवां के निरीक्षक अपराध श्री संदीप यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास ग्राम महुवारी में स्थित सिन्टू सिंह के ट्यूबवेल पर अवैध असलहों की खरीदारी की सूचना पर दबिश दी गयी तो वहाँ पर ट्यूबवेल पर उपस्थित बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलसि पार्टी द्वारा 05 अभियुक्त गणों को घेरकर पकड़ लिया गया तथा 0 4 अभियुक्त गण पुलिस बल पर फायरिंग करते हुए स्कार्पियों से शम्भूगंज बाजार की ओर भाग गये। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तो से पूछताछ की गयी तो उनके नाम क्रमशः- **1.** अरूण सिंह उर्फ सिन्टू पुत्र विजय प्रताप सिंह सा. महुवारी थाना तरवां जनपद आजमगढ़, 2. हरिओम सिंह उर्फ चुनमुन पुत्र अम्बिका सिंह सा. कटहन थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़, 3. अंजनी सिंह उर्फ डब्बू सिंह पुत्र हवलदार सिंह सा0 रोशनपुर थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़, 4. आनन्द सिंह उर्फ रिंकू सिंह पुत्र चण्डी प्रसाद सिंह सा0 कम्हरिया थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ व 5. नवीन सिंह उर्फ सिद्धार्थ सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह सा0 मानपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ प्रकाश में आया है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त गण से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि हमलोग एक गैंग बनाकर आजमगढ़ व आस पास के जिले मे अवैध असलहे व कारतूसो की सप्लाई का कार्य किया करते है। इन्होने यह भी बताया कि क्षेत्र के दुर्दांत अपराधियों से संपर्क कर अवैध असलहा व कारतुस दिये जाते है। इन्होने यह भी बताया कि जो चार लोग पुलिस बल पर फायरिगं करते हुए स्कार्पियों से भाग गये उनके नाम क्रमशः 1- मनीष राय पुत्र अशोक राय निवा0 रामचन्द्रपुर थाना देवगांव आजमगढ़ व मुन्ना बजरंगी के करीबी व शूटर छोटू सिंह निवासी कसेरू थाना सुरेरी जनपद जौनपुर, 3- अनूप सिंह पुत्र पंचदेव सिंह निवासी खामरिया थाना- तरवां, आजमगढ़, 4- विवेक सिंह पुत्र पंचदेव सिंह निवासी खामरिया थाना- तरवां, आजमगढ़ है।

अपराध का तरीका- अभियक्त गणो द्वारा अवैध असलहे व कारतूसो को खरीदकर उन्हे आजमगढ़ व आस पास के जनपदो मे बेचकर धन लाया जाता है । उक्त घटना मे बरामद कारतूस मुन्ना बजरंगी गैंग के सदस्यो द्वारा इन्हे दिया गया था ,जिसे ये लोग आस पास के अपराधियो को सप्लाई करने जा रहे थे ।

पंजीकृत अभियोग

1- 146/2020 धारा 307/34 भा0द0वि0 व 3/5/7/25 A. ACT, थाना-तरवां, आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

1. अरूण सिंह उर्फ सिन्टू पुत्र विजय प्रताप सिंह सा. महुवारी थाना तरवां जनपद आजमगढ़

1- 125/2007 धारा 147/323/324/325/504/506/427/452 भादवि तरवां आजमगढ़

2- 408/12 धारा 323/325/504/506 भादवि व 3(1)10 sc/st act थाना- मेंहनगर, आजमगढ़

2- हरिओम सिंह उर्फ चुनमुन पुत्र अम्बिका सिंह सा. कटहन थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

1- मु0अ0स0 702/09 धारा 364 भादवि थाना- मेंहनगर, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त गण –

1. अरूण सिंह उर्फ सिन्टू पुत्र विजय प्रताप सिंह सा. महुवारी थाना तरवां जनपद आजमगढ़

2. हरिओम सिंह उर्फ चुनमुन पुत्र अम्बिका सिंह सा. कटहन थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

3. अंजनी सिंह उर्फ डब्बू सिंह पुत्र हवलदार सिंह सा0 रोशनपुर थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़

4. आनन्द सिंह उर्फ रिंकू सिंह पुत्र चण्डी प्रसाद सिंह सा0 कम्हरिया थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़

5. नवीन सिंह उर्फ सिद्धार्थ सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह सा0 मानपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

फरार अभियुक्त गण

1- मनीष राय पुत्र अशोक राय निवा0 रामचन्द्रपुर थाना देवगांव आजमगढ़

2- छोटू सिंह निवासी कसेरू थाना सुरेरी जनपद जौनपुर

3- अनूप सिंह पुत्र पंचदेव सिंह निवासी खामरिया थाना- तरवां, आजमगढ़।

4- विवेक सिंह पुत्र पंचदेव सिंह निवासी खामरिया थाना- तरवां, आजमगढ़।

<u>बरामदगी-</u>

1- 01 अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर 2- एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
3- 24 जिंदा कारतूस व 02 मिस कारतूस **AK-47** 4- दो अदद मोटरसाईकिल व एक अदद चारपहिया वाहन(क्रेटा कार)।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1- निरीक्षक अपराध श्री संदीप यादव , उ0नि0 श्री रमेश पाण्डेय , उ0नि0 श्री अकीक अहमद मय फोर्स थाना- तरवाँ, आजमगढ़

<u>गिरफ्तार अभियुक्त गण संगठित गिरोह बनाकर असलहा व कारतूस सप्लाई करते है जो अभी प्रकाश मे आया है।</u>